Email

न्यायालयः— गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प.नि. खरगोन मध्यप्रदेश

क्रमांक 1615 /आप./2026 खरगोन, दिनांक 31.08..2026

प्रतिलिपीः—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर.
2. श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.
3. श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अजा/अजजा मण्डलेश्वर.
4. श्रीमान विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, (एनडीपीएस एक्ट) मण्डलेश्वर.
5. श्रीमान् तृतीय/चतुर्थ/षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महोदय खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन की ओर आदेश की प्रतिलिपि अति. पुलिस अधीक्षक, समस्त अनु.अधि.पुलिस जिला खरगोन एवं अजाक तथा था प्रभारी, थाना बरूड,जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट (समस्त) प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
9. जिला आबकारी अधिकारी खरगोन.
10. उपसंचालक अभियोजन खरगोन.
11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोनं।
12. अध्यक्ष अभिभाषक संघ खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. सिस्टम आफिसर, मण्डलेश्वर की ओर न्यायालय की वेब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
14. सिस्टम असिंस्टेंट खरगोन की ओर समस्त विभागों की ओर परिचालनार्थ प्रेषित।

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला—मण्डलेश्वर म.प्र.

स्थान — खरगोन
दिनांक — 31.08.2026
संलग्न — आदेश

न्यायालय–श्री गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिम निमाड खरगोन
जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

क्रमांकः– 1615 /आप./26 खरगोन, दिनांकः– 31-08-26 /2026

--// आदेश //--

मैं श्री गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, जिला पश्चिम निमाड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन **श्रीमती सविता वर्मा** के दिनांक **11.08.2026 से 07.02.2027** तक प्रसूति अवकाश पर रहने के कारण उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरणों के नियमित संचालन, सुनवाई एवं निराकरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों (संलग्न सूची अनुसार) को विधिवत सुनवाई एवं निराकरण हेतु सारणी के स्तम्भ कमांक–2 में दर्शित न्यायालयों को, अवकाश अवधि अथवा आगामी आदेश तक, अंतरित करता हूँ।

यह आदेश आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

कमांक	न्यायालय का नाम जहां प्रकरण अंतरित होना है।	संलग्न सूची अनुकमांक–/प्रकरण कमांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री रोहित कुमार जेएमएफसी खरगोन	संलग्न सूची अनुसार– आर.सी.टी–क 01 से 359 तक कुल–359, समरी प्रकरण–क.1 से 44 तक कुल–44 यू.एन.सी.आर.–क.1 से 19 तक कुल–19
2	श्री विनयसिंह राजपूत जेएमएफसी खरगोन	संलग्न सूची अनुसार– आर.सी.टी. क. 360 से 717 तक कुल–358, एस.सी.एन.आई.एक्ट–क.1 से 98 तक कुल–98
3	श्री कमलेश वरवनिया जेएमएफसी खरगोन	संलग्न सूची अनुसार– आर.सी.टी. क. 718 से 1009 तक कुल–292 एम.जे.सी.आर–क.01 से 197 तक कुल–197

इसके अतिरिक्त, **श्रीमती सविता वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,** खरगोन के न्यायालय को कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2026 की **कंडिका–3** के अंतर्गत आवंटित थाना क्षेत्राधिकार संबंधी कार्य, जिनमें चालान प्रस्तुति, रिमाण्ड कार्यवाही, जमानत आवेदन, इस्तगासा, एवं अन्य समस्त न्यायिक कार्य सम्मिलित है, उनके प्रसूति अवकाश अवधि दिनांक 11.08.2026 से 07.02.2027 अथवा आगामी आदेश तक **श्री कमलेश वरवनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,** खरगोन द्वारा संपादित किए जाएंगे तथा उक्त आदेश आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 दिनांकित 05.06.2026 में जारी अन्य निर्देशों के अध्यधीन रहेगा।

31.8.2026

(गिरीश कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन,
जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)